कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जनरल प्लम्बिंगस, त्रिवेणी काम्पलेक्स, गोवर्धन रोड, मथुरा।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**004 / 16, 05.05.2016**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जनरल प्लम्बिंगस, त्रिवेणी काम्पलेक्स, गोवर्धन रोड, मथुरा द्वारा दिनांक 05.05.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा वैलन रिंग को करमुक्त सूची में सूचीबद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 25.10.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यवालक) वाणिज्य कर, मथुरा सम्भाग मथुरा के पत्र संख्या-385 (1), दिनांक 27.05.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि जहॉ तक वैलन रिंग पर कर का प्रश्न है,वैलन रिंग का प्रयोग पाइप पर लगाकर फंगस, बैक्टिरिया के रहित करने हेतु किया जाना स्पष्ट किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यदि वैलन रिंग को पाइप व पाइप फिटिंग पर लगाया जाये तब भी पाइप की कार्य करने की मूल प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी। अत: वैलन रिंग पाइप व पाइप फिटिंग का भाग नहीं है। इसलिए इसके अनुरूप करदेयता आकृष्ट नहीं होती है। चूँकि वैलन रिंग उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है फलस्वरूप इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता आकृष्ट होती हे।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा क्वांटम भौतिकी पर आधारित इस संयन्त्र (वैलन रिंग) को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I अर्थात करमुक्त सूची में सूचीबद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संविर्धत कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति,

....2

क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है अपितु वैलन रिंग को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया गया है जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि में नहीं आता है। अत: प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, मथुरा सम्भाग मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी का क्वांटम भौतिकी पर आधारित इस संयन्त्र (वैलन रिंग) को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I अर्थात करमुक्त सूची में सूचीबद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अत: प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक नवम्बर, 2016

ह0 / 15.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।